

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 229053 /

पटना, दिनांक 21/4/15

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/कोर्ट केश-05-12/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नियुक्त कर्मियों को ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में ।


महाशय,

विषयांकित मामले में कहना है कि प्राप्त सूचनानुसार कई जिलों में डी0आर0डी0ए0 कर्मियों के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 2725 दिनांक- 21.03.2007 के आलोक में ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त किया गया है एवं प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी पत्र के आधार पर कुछ डी0आर0डी0ए0 कर्मियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में ए0सी0पी0 लाभ दिये जाने हेतु वाद भी दायर किया गया है ।

पत्र पत्रांक- 2725 दिनांक- 21.03.2007 की सत्यता की जाँच विभाग में की गयी है । यह पत्र इस विभाग से निर्गत नहीं है । अतः इस पत्र के आलोक में डी0आर0डी0ए0 के कर्मियों को ए0सी0पी0 लाभ दिया जाना नियमानुकूल नहीं है ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।


विश्वासभाजन


(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

जापांक 229053 /

पटना, दिनांक 21/4/15

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव

ANNEXURE-3

19

2/0-
19बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभागपत्रांक 1725 ग्रा.वि. पटना 2/ मार्च 2007
ग्रा.वि. - 3- अभि. - विविध 06/07

९३१५११

२३१-५४

DRDA

4/4/07
10/10/07प्रेषक : सरकार के उपसचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी उपविकास आयुक्त

विभाग : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नियुक्त कर्मियों को ए.सी.पी. का लाभ देना
के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 6143 दिनांक 19.06.06 का

खिलोकित कतरे हुए कहना है कि चूंकि केन्द्रीय वित्तमान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
में लागू है। जिसके तहत ए.सी.पी. का लाभ दिया जाना है।अतः डी.आर.डी.ए. के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप ए.सी.
पी. का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। ए.सी.पी. का लाभ प्रबंध पत्र की बैठक
धारित कराकर अग्रेतर कारवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

19/3

सरकार के उप सचिव

765
03/05/2007